8पत्रक
(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा.ट्रेक) नवलगढ

पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

मंगलाराम पुत्र नाथाराम जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।	–बनाम–	नायब तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जाब्ता दीवानी।		मु.नं. 95 / 2024 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
24.06.24	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का आवेदक की ओर से वकील श्री **राजेन्द्र आर्य** द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावे में प्रतिवादी नम्बर 01 को भी पक्षकार बनाया गया है जो राज्य सरकार का लोक सेवक है। लोक सेवक के विरूद्ध न्यायालय में दावा करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस देना कानूनी आवश्यक है लेकिन मामला अति आवश्यक प्रकृति का है अगर वादी प्रतिवादी नम्बर 01 को दो माह का विधिक नोटिस देकर दावा पेश करता है तो वादी का दावा पेश करने का उदेश्य ही असफल हो जायेगा इसलिए वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 01 के विरूद्ध दावा दायरी की अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 01 के खिलाफ बिना विधिक नोटिस के दावा पेश किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वादी अधीवक्ता की कथनो का मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र एवं वाद की प्रवृति एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी नम्बर 01 राजकीय कर्मचारी है एवं दावा अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है इसलिए उक्त धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस प्रतिवादी को नही दिया गया है। नोटिस बिना दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। फलस्वरूप वादी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी नम्बर 01 की आपतियों को सुरक्षित रखते हुये स्वीकार किया जाता है तथा वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार कर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न हो। निर्णय आज दिनांक **24.06.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 24/6/24 सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू	